# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कि0रेनवाल, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : सुनीता मीणा R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 85 / 2022 पुराना, 309/23 नया

मंजूदेवी बनाम प्रभातीदेवी वगै0

**दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 व धारा 151 जा0दी0**

उपस्थित : – श्री रामसिंह, अधिवक्ता वादी
श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 4

## निर्णय प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक :– 28/3/25

1. इस आदेश के माध्यम से हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 व धारा 151 जाप्ता दीवानी का निर्णय किया जा रहा है।
2. वादीया ने प्रा0पत्र आर्डर 22 नियम 4 व 9 व धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में अप्रार्थीया / प्रतिवादी सं0 1 प्रभातीदेवी पत्नि उगमाराम का स्वर्गवास दिनांक 19.02.2023 को हो चुका है जिसके वारिसान को रिकोर्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थीया / प्रतिवादी सं0 1 की फौती की सूचना उपरान्त प्रार्थी / वादी बीमार हो जाने व अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सका है जिसके मृत्यु उपरान्त से आजतक की अवधि कण्डोन किये जाने बाबत् धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0पत्र अलग से पेश किया गया।
3. प्रतिवादी सं0 4 ने प्रार्थना का जवाब पेश कर अपने जवाब में अंकित किया कि प्रतिवादी सं0 1 के फौत होने की जानकारी वादीया को फौती की दिनांक से ही रही है इसके पश्चात् प्रतिवादी सं0 1 के स्थान पर भी फौत होने की रिपोर्ट अंकित होकर आने पर दिनांक 27.03.2024 को वादी अधिवक्ता की जानकारी में आ गई थी। इसके बावजूद भी निर्धारित समय अवधि में कायम मुकामान का प्रा0पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही वादीया ने अपनी बीमारी का कोई प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया है इस कारण प्रार्थना पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वादीया का वाद अबेट हो चुका है। वादीया द्वारा प्रार्थना पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रतिवादी सं0 1 के वारिसान को कानूनन रिकोर्ड पर नहीं लिया जा सकता है इसलिए वादीया द्वारा पेश प्रा0पत्र आर्डर 22 रूल 4 व 9 जा0दी0 का खारिज किया जाकर वादीया का वाद अबेट किया जावे।
4. वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में अप्रार्थीया / प्रतिवादी सं0 1 प्रभातीदेवी पत्नि उगमाराम का स्वर्गवास दिनांक 19.02.2023 को हो चुका है जिसके वारिसान को रिकोर्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थीया / प्रतिवादी सं0 1 की फौती की सूचना उपरान्त प्रार्थी / वादी बीमार हो जाने व अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सका है जिसके मृत्यु उपरान्त से आजतक की अवधि कण्डोन किये जाने बाबत् धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0पत्र अलग से पेश किया है इसलिए प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 के वारिसान को रिकोर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

5. वकील प्रतिवादी सं0 4 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी सं0 1 के फौत होने की जानकारी वादीया को फौती की दिनांक से ही रही है इसके पश्चात् प्रतिवादी सं0 1 के स्थान पर भी फौत होने की रिपोर्ट अंकित होकर आने पर दिनांक 27.03.2024 को वादी अधिवक्ता की जानकारी में आ गई थी। इसके बावजूद भी निर्धारित समय अवधि में कायम मुकामान का प्रा0पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही वादीया ने अपनी बीमारी का कोई प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया है इस कारण प्रार्थना पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वादीया का वाद अबेट हो चुका है। वादीया द्वारा प्रार्थना पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रतिवादी सं0 1 के वारिसान को कानूनन रिकोर्ड पर नहीं लिया जा सकता है इसलिए वादीया द्वारा पेश प्रा0पत्र आर्डर 22 रूल 4 व 9 जा0दी0 का खारिज किया जाकर वादीया का वाद अबेट किया जावे।

6. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस उभय पक्ष पर अवलोकन/मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु का तथ्य दिनांक 27.03.2024 की आदेशिका में अंकित है जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि वादीया को प्रतिवादी सं0 1 की फौत होने की जानकारी दिनांक 27.03.2024 को ही हो चुकी थी। वादीया द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के कायम मुकामान का प्रा0पत्र दिनांक 14.08.2024 को प्रस्तुत किया गया है जो कि जानकारी के लगभग साढ़े चार माह पश्चात् प्रस्तुत किया गया है वादीया ने उक्त प्रा0पत्र देरी से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण प्रा0पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है उसमें वादीया का बीमार हो जाने का कारण अंकित किया है परन्तु वादीया की ओर से बीमारी के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये है तथा प्रा0पत्र देरी से प्रस्तुत किये जाने का कोई न्यायोचित आधार भी वादीया द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रा0पत्र आदेश 22 नियम 3 व 4 के लिए सिविल प्रकिया संहिता में 90 दिवस का समय दिया गया है तथा 90 दिवस के समय के पश्चात् यदि कोई प्रा0पत्र पेश किया जाता है तो देरी से प्रस्तुत किये जाने बाबत् न्यायोचित आधार अथवा कारण अंकित किये जाते है परन्तु वादीया ने अपने प्रा0पत्र में ऐसे कोई आधार व कारण अंकित नहीं किये गये है जिससे प्रा0पत्र को देरी से प्रस्तुत किये जाने बाबत् डीलें कंडोन किया जाकर प्रा0पत्र स्वीकार किया जावे। ऐसी स्थिति में वादीया के द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 जा0दी0 मियाद बाहर प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने योग्य है एवंम् वादीया का वाद कानूनन रूप से अबेट हो चुका है एवं वादीया का वाद अबेट होने से खारिज किये जाने योग्य है।_पर्चा डिक्री जारी हो।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र आर्डर 22 रूल 4 व 9 व धारा 151 जा0दी0 का अस्वीकार किया जाकर वादीया का वाद अबेट होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 28/03/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुनीता मीणा, आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल
कि0रेनवाल